न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 40/2022

सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर

.........प्रार्थी

बनाम

1– बफाती पुत्र कमरूद्दीन जाति लुहार निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर
2. बशीरन पत्नी कमरूद्दीन जाति लुहार निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर
3. मीना पुत्री कमरूद्दीन जाति लुहार निवासी ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक– 27.02.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थीगण को तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के खसरा नम्बर 473 मि. रकबा 02 बीस्वा (वर्तमान खसरा नम्बर 2013/2768 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म बारानी 3) भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश क्रमांक उखअ/राजस्व.अभि/95/23 दिनांक 22.12.1995 अप्रार्थीगण के पिता को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तो के अनुरूप आवंटित भूमि में आवंटी को कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50 प्रतिशन भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त की जानी किन्तु पटवारी हल्का तिलोरा तथा भू–अभिलेख निरीक्षक नान्द की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 तथा 12.11.2021 अनुसार मौके पर आवंटी/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है, उक्त खसरा नम्बर भौतिक रूप से नाले के रूप में है तथा आवंटी/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(3) की पालना नहीं करने कारण अप्रार्थीयान के पक्ष में किया गया प्रश्नगत भूमि का आवंटन/नियमन निरस्त किया जाकर भूमि सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त। अप्रार्थीगण नोटिस तामित बावजूद गैर हाजिर। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। अप्रार्थीगण/अप्रार्थीगण

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

आज भी बहस हेतु उपस्थित नहीं आये, रूक–रूक कर आवाजें लगवाने उपरान्त भी बहस हेतु उपस्थित नहीं आने पर उपस्थित राजकीय अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण को तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के खसरा नम्बर 473 मि. रकबा 02 बीस्वा (वर्तमान खसरा नम्बर 2013/2768 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म बारानी 3) भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश क्रमांक उखअ/राजस्व.अभि/95/23 दिनांक 22.12.1995 अप्रार्थीगण के पिता को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तो के अनुरूप आवंटित भूमि में आवंटी को कब्जा सम्भलाये जाने के वर्ष कम से कम 50 प्रतिशन भाग पर तथा उसके पश्चात सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त की जानी किन्तु पटवारी हल्का तिलोरा तथा भू–अभिलेख निरीक्षक नान्द की संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.05.2022 तथा 12.11.2021 अनुसार मौके पर आवंटी/अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है, उक्त खसरा नम्बर भौतिक रूप से नाले के रूप में है तथा आवंटी/अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की है। तद्नुसार आवंटी/अप्रार्थीगण ने आवंटन की शर्तो के अनुरूप काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर वर्तमान खसरा नम्बर 2013/2768 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म बारानी 3 में अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त कर भूमि सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

हमने राजकीय अभिभाषक की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार पुष्कर ने अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त खसरा नम्बर 473 मि. भौतिक रूप से नाले के रूप में बताया गया है, खसरा गिरदावरी सं. 2059 से 2066 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पर आवंटन पश्चात् आवंटी/अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी वर्ष में फसल काश्त नहीं की गई है। चूंकि राज्य सरकार द्वारा भू आवंटन/नियमन के नियमों में पूर्व निर्धारित नियम यथा प्रथम वर्ष में 50% तथा अगले वर्ष में सम्पूर्ण भू भाग पर फसल काश्त करने की शर्त को विलोपित कर दिया है किन्तु आवंटी/अप्रार्थीगण द्वारा उनके पक्ष में हुये आवंटन/नियमन पश्चात् लगातार लगभग 8–10 वर्षों में एक बार भी काश्त नहीं कर नियम 14(3) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर की जमाबन्दी सं. 2072 से 2075 (वर्ष 2018 से स्थाई) के खाता संख्या 575 में खसरा नम्बर 2013/2768 रकबा 0.02 किस्म बा0 3 के अनुसार नियमित भूमि आवंटी/अप्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा नियमों की पालना नहीं करने के कारण खातेदारी के हक नहीं मिले हैं। राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 20 के अनुसार "अतिचारियों को भूमि का आवंटन" के उप नियम 1 के अनुसार भू–संशोधन के अवशेष प्रकरणों की भूमि को सम्बन्धित के पक्ष में नियमन किये जाने का संशोधन किया गया है। इन्हीं संशोधनों के अनुसरण में नियमन, सम्बन्धित के हक में किया गया है जिसके लिये उपरोक्त नियम के नियम 20(2) के अनुसार "आवंटन के उपरान्त अतिचारी इन नियमों में उपबन्धित आवंटन शर्तों से आबद्ध होगा और उसे खातेदारी अधिकार इस प्रकार प्रोदभूत होंगे मानों उसका मामला इन नियमों के अधीन आवंटन का हो" के तहत् अप्रार्थीयान द्वारा उनके हक में नियमित की भूमि पर बिल्कुल काश्त नहीं की

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

जाने से नियम 20(2) के तहत् प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज. भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्वीकार कर ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर के आराजी खसरा नम्बर 473 मि. रकबा 02 बिस्वा किस्म बारानी 3 के हाल खसरा नम्बर 2013/2768 रकबा 0.02 किस्म बारानी 3 भूमि का अप्रार्थीयान के हक में किया गया आवंटन/नियमन निरस्त किया जाता है तथा भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 27.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर